

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

लक्षण कुमार सिंह,
विशेष निदेशक, माठ शिक्षा।

संवय में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

विषय :

Primus Public School, South of Shiv Mandir, Khabra, Muzaffarpur को
अनापति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि Primus Public School, South of Shiv Mandir, Khabra, Muzaffarpur को अनापति प्रमाण पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन हारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डिकारी के समक्ष किये गये शपथ पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अधिकारी/कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति हारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की रिख्ति निम्न प्रकार पाई गई :-

1. यह विद्यालय Chandra and Raj Primus Educational Trust के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रमुख नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ल्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक हारा किसी अन्य नियंत्रित सोसाइटी/च्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्राउ नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को 02 एकड़ 80 डिं.भूमि 31 वर्षों के लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय में उपरकर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारस्तुत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं।
4. विद्यालय में शिक्षक को नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 18 शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अव्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुरूप हैं अथवा नहीं।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय हारा नियंत्रित, शुल्कों, वार्षिक तेला अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आशवासन दिया गया है। विद्यालय अपने आशवासन के अनुरूप कार्रवाई करे इस सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के हारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विनाशीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शार्ट ल्यौरा दिल्ली करे।

For PRIMUS PUBLIC SCHOOL
Montum Kumar

- Principal
PRIMUS PUBLIC SCHOOL
Khabra, Muzaffarpur



P.T.O

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- विद्यालय में कल कमता का 25 प्रतिशत निःशुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का किया जायेगा तथा उनसे दूर्योग शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुमूलिक जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा यां, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यस्त्रायक, विकलांग बालिकाएं तथा सामाज्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष ₹2.00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।
- विद्यालय में नर्सरी / कें० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रयोग परीक्षा / साइक्लोट्रॉफ (बच्चों एवं माता / पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित कमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
- नर्सरी / कें० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रदेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।
- जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के संदर्भ में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, किर भी सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि सांबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पर्टस एवं देवरासाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापति प्रमाण—पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कारबाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक—46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक / छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्तों के आलोक में लिखाईय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार Primus Public School, South of Shiv Mandir, Khabra, Muzaffarpur को सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाता है।

विद्यासमाजन

₹०/-
(लक्षण कुमार सिंह)
विशेष निदेशक, माठ शिक्षा।

जापांक..... दिनांक..... दिनांक.....

दिनांक.....

जापांक..... दिनांक..... दिनांक..... दिनांक.....
प्रतिलिपि : प्राचार्य, Primus Public School, South of Shiv Mandir, Khabra,
Muzaffarpur को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्राचार्य, Primus Public School, South of Shiv Mandir, Khabra,
Muzaffarpur को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय प्रेषित।

100 अंगूष्ठ अनुमान 2013/09/

प्राचार्य, Primus Public School, South of Shiv Mandir, Khabra,

विशेष निदेशक, माठ शिक्षा।